परिशिष्ट "3

[12/7/2019]

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

प्रश्न सं. [क्र. 364]

(1) (6)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना क्र. 64-एफ-1-19-2009-अट्ठराह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में नगर परिषद् के लिए संक्रमणशील क्षेत्र तथा नगरपालिका के लिये लघुत्तर नगरीय क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में नगर निगमों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रावधान है.

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नगर परिषद्/नगरपालिका/नगर निगम के गठन का मापदण्ड जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

नगर परिषद्	—	20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या
नगरपालिका	—	50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या
नगर पालिक निगम	—	3,00,000 से अधिक जनसंख्या

इसके अतिरिक्त संक्रमणशील क्षेत्र के गठन हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है:—

1. जनसंख्या 20 हजार से कम न हो. इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत सघन जनसंख्या हो.
2. प्रकरणाधीन निकाय में कृषि इतर गतिविधियां संचालित हो तथा इन गतिविधियों में 50 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हों.
3. परिवर्तित होने वाली निकाय का स्वयं का राजस्व कम से कम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष हो.
4. प्रकरणाधीन निकाय में स्थित कुल भवनों में से 30 प्रतिशत भवन संपत्तिकर की परिधि में आते हों अर्थात् इनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800.00 रुपये से कम न हो.
5. प्रकरणाधीन निकाय के पूरे क्षेत्र में जल प्रदाय किया जा रहा हो.
6. प्रकरणाधीन निकाय में लगने वाले बाजार, पशु बाजार, आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक राजस्व देने वाले हों.
7. ग्राम पंचायत का स्वयं का भवन होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी बैठ सकें और 15 पार्षद बैठक कर सकें.
8. प्रकरणाधीन निकाय में कुल सड़कों की लम्बाई की 30 प्रतिशत सड़कें/नालियां पक्की होना चाहिये.
9. विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत निकाय के अधिकतर क्षेत्र में विद्युत खम्भे स्थापित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पवन कुमार सिं
उप संचालक

परिशिष्ट "ब"

7

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण छिन्दवाड़ा

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 1364 की पूरक जानकारी

'परिशिष्ट-ब'

न.पा.परासिया एवं नगर पंचायत न्यूटनचिखली, बड़कुही, चांदामेटा एवं आसपास के 10 कि.मी. की परिधि के ग्रामो की कुल जनसंख्या की जानकारी।

स.क्र	नगरीय निकाय एवं 10 कि.मी. परिधि में स्थित ग्रामों का नाम	निकाय/ग्रामो की जनसंख्या	रिमार्क
1	2	3	4
1	नगरपालिका परासिया	39515	–
	1. खिरसाडोह	3412	–
2	नगर परिषद न्यूटनचिखली	9840	–
	1. ग्राम मायावाड़ी	2149	–
	2. ग्राम बेलगांव	1168	–
3	नगर परिषद चांदामेटा	16497	–
4	नगर परिषद बड़कुही	9895	–
	1. ग्राम इकलहरा	7975	–
	2. ग्राम भाजीपानी	2296	–
	3. ग्राम भमोड़ी	3577	–
	4. ग्राम जाटाछापर	2800	–
	योग –	99124	–

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
छिन्दवाड़ा

सिंह
उप संचालक

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग